

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी - देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 62/2017

उनवान

- 1 शिवराज
- 2 धर्मराज पि० छगना जाति जाट निवासी ग्राम भटियाणी, नसीराबाद
— वादीगण :- जरिये अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादी :- जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा० का० अधि० 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

:- निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियाणी में वादीगण की पुश्तैनी काश्तकारी/खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
744	2011/4625 मिन	0.20	बारानी 2
1	3009/4624 मिन	0.16	बारानी 2
	3009/4578	0.78	बारानी 3

उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। जिस पर वादीगण काबिज है। वॉकिंग जमाबंदी में उक्त आराजी पाल अंकित हैं किन्तु हाल जमाबंदी में नक्शों में पाल को हटाते हुये उक्त खसरा नम्बर मौके से हटा दिये है। जबकि मौके पर पाल अंकित है। पूर्व में हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वर्तमान खसरा नम्बर 2011/4625 के स्थान पर 3011/4625 किया जाना उचित होगा। तथा खसरा नम्बर 3011/4625, 3009/4624 मिन, 3009/4578 की किस्म पाल किया जाना उचित होगा। उक्त त्रुटी को सही मानते हुये तहसीलदार नसीराबाद ने उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष पत्र भिजवाया था। किन्तु उक्त त्रुटी आज दिव्य जक दुरुस्त नहीं की है। अतः राजस्व मानचित्र दुरुस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज० पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खैसाला खसरा नम्बर 1793 रकबा 2-5-10 किस्म पाल दर्ज है। वॉकिंग जमाबंदी खसरा नम्बर 2610 रकबा 2-5-10 में किस्म बारानी 3 अंकित कर दी। जिसके हाल खसरा नम्बर 2011/4625 रकबा 0.17 बने है जिसकी किस्म बारानी है। मिलान श्रेत्रफल में खसरा नम्बर 2011/4625 है जबकि नक्शों में खसरा नम्बर 3011/4625 है। वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)



1. आया वादग्रस्त अराजी का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरुस्ती का अधिकारी है ?

— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा कि किस्म पूर्व रेकार्ड में वारानी 3 दर्ज है अतः वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। व वादी शिवराज का शपथ पत्र पेश किया। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

वादीगण ने उक्त वाद में निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। जिस पर वादीगण काबिज है। वॉर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी पाल अंकित हैं किन्तु हाल जमाबंदी में नक्शों में पाल को हटाते हुये उक्त खसरा नम्बर मौके से हटा दिये है। जबकि मौके पर पाल अंकित है। पूर्व में हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वर्तमान खसरा नम्बर 2011/4625 के स्थान पर 3011/4625 किया जाना उचित होगा। तथा खसरा नम्बर 3011/4625, 3009/4624 मिन. 3009/4578 की किस्म पाल किया जाना उचित होगा। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादीगण ने वाद में हाल खसरा नम्बर के वॉर्किंग व चौसाला खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नहीं की है वादीगण चौसाला मानचित्र अनुसार भूमि की किस्म व मानचित्र में दुरुस्ती करवाना चाहते है किन्तु उनके द्वारा आराजी मुतनाजा का सम्पूर्ण साबिक राजस्व अभिलेख भी पेश नहीं किया है। व आस-पास के खसरा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया है। चौसाला खसरा नम्बर 1793 के वॉर्किंग खसरा नम्बर 2610 के हाल खसरा नम्बर 1398 व 1399 बने है किन्तु उनके मानचित्र व राजस्व अभिलेख की स्थिति भी वाद अथवा राजस्व अभिलेख में स्पष्ट नहीं है। वादी का कथन है कि जमाबंदी में हाल खसरा नम्बर 2011/4625 अंकित है जबकि राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 3011/4625 अंकित है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर का मिलान व साबिक राजस्व अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। वादी आराजी मुतनाजा की किस्म परिवर्तन कराना चाहते है। किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि के मौके अनुसार ही किस्म का अंकन किया गया है। हाजा न्यायालय द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण जो अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। उसे अपने वाद में अभिवचन द्वारा व राजस्व अभिलेख की स्थिति द्वारा सिद्ध नहीं कर पाये है। तनकी विरुद्ध वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम भटियाणी के हाल खसरा नम्बर 2011/4625 मिन रकबा 0.20, 3009/4624 मिन रकबा 0.16 व 3009/4578 रकबा 0.78 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिफेंडी व मुकदमें इन्चार्ज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शिवराज बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 62/2017

पेश करने की दिनांक - 21.04.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक हीलाल माली मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिफेंडी दी जाती है कि :-

ग्राम भटियाणी के हाल खसरा नम्बर 2011/4625 मिन रकबा 0.20, 3009/4624 मिन रकबा 0.16 व 3009/4578 रकबा 0.78 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन 2024 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद